न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 97 / 2013

पीठासीन अधिकारी — करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 श्रीमती हाजरा पत्नी हसन उम्र 70 साल।
2 जुल्फकार पुत्र हसन उम्र 40 साल।
3 अब्दुल रहुफ पुत्र हसन उम्र 35 साल।
4 मो. इस्माईल पुत्र हसन उम्र 33 साल।
5 अब्दुल रब्बानी पुत्र हसन उम्र 31 साल।
6 मो. इमरान पुत्र हसन उम्र 26 साल।
7 रहीसा बानो पुत्री हसन पत्नी फारूख उम्र 38 साल।
8 नफीसा बानों पुत्री हसन पत्नी कुर्बान उम्र 29 साल।
9 मो. इरफान पुत्र हसन उम्र 24 साल समस्त निवासीगण मण्डावा तहसील व जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 दुर्गा सिंह पुत्र ठाकुर भीम सिंह।
2 भानू प्रकाश सिंह पुत्र ठाकुर देवी सिंह।
3 केशरी सिंह पुत्र ठाकुर देवी सिंह।
4 रणधीर विकम सिंह पुत्र ठाकुर देवी सिंह।
5 प्रद्युमन सिंह पुत्र ठाकुर देवी सिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण मण्डावा तहसील व जिला झुंझुनू।
6 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार झुंझुनू।

रेस्पोंडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील विरूद्व निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.04.13
पारित द्वारा श्रीमान उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू
श्री रिछपाल सिंह बुरड़क अन्तर्गत दावा घोषणार्थ
बंटवारा एवं रिकार्ड दुरूस्ती जमीन मु. न. 97/13

उपस्थित

1. श्री सुरेन्द्र किशनावत अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री शिवप्रसाद अधिवक्ता अपीलांट

–निर्णय–

दिनांकः– 28-3-19

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू द्वारा मुकदाम नम्बर 160/2010 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08.04.2013 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में कथन किया गया है कि राजा, महाराजा, जागीरदारों का राज था तो राजस्व रिकार्ड में जमीन की खातेदारी उन्ही के नाम थी। जमीनात काश्तकार काश्त करते थे और लगान ठाकुरों को अदा करते थे। उसी वक्त से राजस्व रिकार्ड में जमीन उन्ही के नाम चली आ रही है ठिकाने सन 1992 में रिज्यूम हो गये मण्डाव के खसरा नम्बर 582/856 मीन पुराने के नये खसरा नम्बर 1284 रकबा 0.75 हैक्टेयर 1278 रकबा 0.30 हैक्टेयर 1279 रकबा 0.08 हैक्टेयर भूमि को वर्तमान में वादी काश्त करता

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

है और वादी के कब्जे काश्त में है। इससे पूर्व वादी के पिता मनु पुत्र ताजु काश्त करते थे और कब्जे काश्त में थी राज टिनेन्सी एक्ट लागु होने से पूर्व से ही यह भूमि वादी व उसके पूर्वजो के कब्जे काश्त में चली आ रही है। यह भूमि चालू जमाबंदी में जयसिंह 1/2, दुर्गसिंह 1/2 हिस्सा खातेदारी में दर्ज है जो गलत है। जयसिंह व उसके पुत्र देवीसिंह का देहान्त हो चुका है। जयसिंह व इन्द्रसिंह ठिकाना मण्डावा के ठिकानेदार व जागीरदार थे। डूगरसिंह के पुत्र भीमसिंह व भीमसिंह के पुत्र दुर्गसिंह हुए जो दावा में प्रतिवादी नम्बर 1 है प्रतिवादी नम्बर 2 व 5 देवीसिंह के पुत्र है वादी जिस भूमि को काश्त करता है उसका लगान पूर्वजों के समय से वादी व उसके पूर्वज चुकाते रहे। लगान की रसीदे संवत 2005,2006,2007,2011 से 2019 व 2020 व 2027 तक दावा के साथ पेश है वादी ने वाद ग्रस्त भूमि में पानी का कनेक्शन भी ले रखा है पहाड़ी पत्थर व ईंट डाल कर कच्चा मकान भी वादी ने बना रखा है। वादी के कब्जे की भमि की सीमा इस प्रकार है उतर में सुलेमान की जमीन व हबीब की जमीन दक्षिण में अली मोहम्मद की भूमि, पूर्व में फकरूदीन की जमीन, पश्चिम में आम सड़क है ठिकाने 1952 में रिज्यूम हुए तब सरकार से निवेदन किया था जो मौके पर जमीन काश्त करता है उसके नाम से रिकार्ड में खातेदारी दर्ज कर दी जावे। तहसीलदार महोदय से निवेदन करने पर उक्त जमीन वादी के नाम करने से उन्होने इन्कार कर दिया। इस कारण यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53,88,89 व इसी एक्ट की तृतीय सूचि के कमांक 3,5 व 6 के तहत अन्दर मियाद पेश है। वाद ग्रस्त भूमि का वादी को कानूनन खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाना आवश्यक है। खसरा नम्बर 1278 व 1279 की भूमि को सिवायचक काबिज काश्त बशरह सदर गलत दर्ज किया गया है। वादी को पुराने

भू-प्रबंध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

खसरा नम्बर 582/856 मिन जिसके नये खसरा नम्बर 1278,1279,1284 वाके ग्राम मण्डावा का खातेदार काश्तकार कब्जा शुद्वा घोषित फरमाया जाये व इसी अनुसार बंटवारा किया जावे व लगान अलग फरमाया जाये। प्रतिवादीगण 1 से 5 व जयसिंह का नाम राजस्व रिकार्ड से हटाया जावें। उक्तानुसार वाद पत्र प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन तलब करने पर तथा पर्याप्त रूप से इनकी तामिल होने के बावजुद भी प्रतिवादीगण संख्या 1 व 5 के न्यायालय में उपस्थित नही होने पर प्रतिवादी संख्या 1,3 व 5 के विरूद्व दिनांक 12.10.2012 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 6 ने दिनांक 09.11.2012 को आदेशिका पर जवाब दावा अंकित कर निवेदन किया कि कब्जा काश्त के आधार पर ठिकाना रिज्यूम होने के वाद के आधार पर दावा डिकी किया जा सकता हो व राजस्व की हानि न हो कोई एतराज नहीं है। शहादतवादी में वादिया 1/1 , वादी 1/2 तथा गवाह अयूब व रामा देवी के चीफ के शपथ पत्र प्रस्तुत किये। शपथ पत्र वादिया संख्या 1/1 में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों का वर्णन करते हुए प्रस्तुत दस्तावेजात, प्रदर्श 1 व 5 की और ध्यान आकर्षित किया शपथ पत्र वादी संख्या 1/2 व गवाह अयूब व रामा देवी में भी वादिया नम्बर 1/1 के शपथ पत्र में वर्णित तथ्य ही अंकित करते हुए वाद ग्रस्त भूमि वादीगण संख्या 1/1 व 1/9 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का निवेदन किया है। इसके पश्चात बहस वकील वादी सुनी गई। बहस के दोरान वकील वादी ने प्रस्तुत वाद पत्र, शपथ पत्रों व प्रस्तुत दस्तावेजों प्रदर्श 1 व 5 में वर्णित विवरण की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए वाद वादीगण स्वीकार कर डिकी किये जाने का निवेदन किया। बहस के समर्थन में प्रकरण संख्या 167/2006 खेराती बनाम दुर्गा में दुर्गासिंह द्वारा दिनांक 06.08.2008 को भेजी रजिस्टर्डड डाक की प्रति पेश की व सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रकरण सिविल

उप-खण्ड अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
डीडवाना

अपील संख्या 1436/1975 किशोरीलाल बनाम बिडदीलाल में पारित निर्णय दिनांक 10.03.1976 की छाया प्रति उदाहरण के रूप में प्रस्तुत की है। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज किया है। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

बहस वकील अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि कि राजा, महाराजा, जागीरदारों का राज था तो राजस्व रिकार्ड में जमीन की खातेदारी उन्ही के नाम थी। जमीनात काश्तकार काश्त करते थे और लगान ठाकुरों को अदा करते थे। उसी वक्त से राजस्व रिकार्ड में जमीन उन्ही के नाम चली आ रही है ठिकाने सन 1992 में रिज्यूम हो गये मण्डावा के खसरा नम्बर 582/856 मीन पुराने के नये खसरा नम्बर 1284 रकबा 0.75 हैक्टेयर 1278 रकबा 0.30 हैक्टेयर 1279 रकबा 0.08 हैक्टेयर भूमि को वर्तमान में वादी काश्त करता है और वादी के कब्जे काश्त में है। इससे पूर्व वादी के पिता मनु पुत्र ताजु काश्त करते थे और कब्जे काश्त में थी राज टिनेन्सी एक्ट लागु होने से पूर्व से ही यह भूमि वादी व उसके पूर्वजो के कब्जे काश्त में चली आ रही है। यह भूमि चालू जमाबंदी में जयसिंह 1/2, दुर्गसिंह 1/2 हिस्सा खातेदारी में दर्ज है जो गलत है। जयसिंह व उसके पुत्र देवीसिंह का देहान्त हो चुका है। जयसिंह व इन्द्रसिंह ठिकाना मण्डावा के ठिकानेदार व जागीरदार थे। डूगरसिंह के पुत्र भीमसिंह व भीमसिंह के पुत्र दुर्गसिंह हुए जो दावा में प्रतिवादी नम्बर 1 है प्रतिवादी नम्बर 2 व 5 देवीसिंह के पुत्र है वादी जिस भूमि को काश्त करता है उसका लगान पूर्वजों के समय से वादी व उसके पूर्वज चुकाते रहे। लगान की रसीदे संवत 2005,2006,2007,2011 से 2019 व 2020 व 2027 तक दावा के साथ पेश है वादी ने वाद ग्रस्त भूमि में पानी का कनेक्शन भी ले रखा है पहाड़ी पत्थर व ईंट डाल कर कच्चा मकान भी वादी ने बना रखा है। वादी के कब्जे की भमि की सीमा इस

भू प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रकार है उतर में सुलेमान की जमीन व हबीब की जमीन दक्षिण में अली मोहम्मद की भूमि, पूर्व में फकरूदीन की जमीन, पश्चिम में आम सड़क है ठिकाने 1952 में रिज्यूम हुए तब सरकार से निवेदन किया था जो मौके पर जमीन काश्त करता है उसके नाम से रिकार्ड में खातेदारी दर्ज कर दी जावे। तहसीलदार महोदय से निवेदन करने पर उक्त जमीन वादी के नाम करने से उन्होने इन्कार कर दिया। इस कारण यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53,88,89 व इसी एक्ट की तृतीय सूचि के कमांक 3,5 व 6 के तहत अन्दर मियाद पेश है। वाद ग्रस्त भूमि का वादी को कानूनन खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाना आवश्यक है। खसरा नम्बर 1278 व 1279 की भूमि को सिवायचक काबिज काश्त बशरह सदर गलत दर्ज किया गया है। वादी को पुराने खसरा नम्बर 582/856 मिन जिसके नये खसरा नम्बर 1278,1279,1284 वाके ग्राम मण्डावा का खातेदार काश्तकार कब्जा शुद्वा घोषित फरमाया जाये व इसी अनुसार बंटवारा किया जावे व लगान अलग फरमाया जाये। प्रतिवादीगण 1 से 5 व जयसिंह का नाम राजस्व रिकार्ड से हटाया जावें। उक्तानुसार वाद पत्र प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन तलब करने पर तथा पर्याप्त रूप से इनकी तामिल होने के बावजुद भी प्रतिवादीगण संख्या 1 व 5 के न्यायालय में उपस्थित नही होने पर प्रतिवादी संख्या 1,3 व 5 के विरूद्व दिनांक 12.10.2012 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 6 ने दिनांक 09.11.2012 को आदेशिका पर जवाब दावा अंकित कर निवेदन किया कि कब्जा काश्त के आधार पर ठिकाना रिज्यूम होने के वाद के आधार पर दावा डिकी किया जा सकता हो व राजस्व की हानि न हो कोई एतराज नहीं है। शहादतवादी में वादिया 1/1 , वादी 1/2 तथा गवाह अयूब व रामा देवी के चीफ के शपथ पत्र प्रस्तुत किये। शपथ पत्र

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
मांडावा

वादिया संख्या 1/1 में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों का वर्णन करते हुए प्रस्तुत दस्तावेजात, प्रदर्श 1 व 5 की और ध्यान आकर्षित किया शपथ पत्र वादी संख्या 1/2 व गवाह अयूब व रामा देवी में भी वादिया नम्बर 1/1 के शपथ पत्र में वर्णित तथ्य ही अंकित करते हुए वाद ग्रस्त भूमि वादीगण संख्या 1/1 व 1/9 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का निवेदन किया है। इसके पश्चात बहस वकील वादी सुनी गई। बहस के दोरान वकील वादी ने प्रस्तुत वाद पत्र, शपथ पत्रों व प्रस्तुत दस्तावेजों प्रदर्श 1 व 5 में वर्णित विवरण की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए वाद वादीगण स्वीकार कर डिक्री किये जाने का निवेदन किया। बहस के समर्थन में प्रकरण संख्या 167/2006 खेराती बनाम दुर्गा में दुर्गासिंह द्वारा दिनांक 06.08.2008 को भेजी रजिस्टर्डड डाक की प्रति पेश की व सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रकरण सिविल अपील संख्या 1436/1975 किशोरीलाल बनाम बिडदीलाल में पारित निर्णय दिनांक 10.03.1976 की छाया प्रति उदाहरण के रूप में प्रस्तुत की है। इस न्यायालय में विवादित भूमि की मौका रिपोर्ट नायब तहसीलदार मण्डावा से मगवाई गई जिसमें खसरा नम्बर 1279 व 1284 पर अब्दुल रउफ पुत्र हसन अली जुल्फीकार पुत्र हसन अली इरफान पुत्र हसन अली के मकान बने होना व काबिज होना अंकित है। विद्वान अधिवक्ता ने अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। विवादित भूमि के सन्दर्भ में इस न्यायालय द्वारा नायब तहसीलदार मण्डावा से मौका रिपोर्ट ली गई। नायब तहसीलदार मण्डावा ने अपने पत्र कमांक रीडर/2018/90 दिनांक 22.03.2018 द्वारा मौका रिपोर्ट प्रेषित की। जिसमें विवादित भूमि खसरा नम्बर 1278 गैर मुमकिन उप तहसील मण्डावा के नाम दर्ज रिकार्ड होना एवं मौके पर उप तहसील भवन मण्डावा की नींव भरकर छोड़ी होना तथा वर्तमान में किसी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रकार का कोई निर्माण कार्य संचालित नही होना अंकित किया है। चूकि यह भूमि उप तहसील भवन के लिए दर्ज रिकार्ड है अत खसरा नम्बर 1278 के सन्दर्भ में किसी प्रकार के विवेचन की आवश्यकता नही है।

जहां तक खसरा नम्बर 1279,1284 का प्रश्न है उपरोक्त मौका रिपोर्ट में नायब तहसीलदार मण्डावा ने खसरा नम्बर 1279,1284 में अब्दुल रउफ पुत्र हसन अली जुल्फीकार पुत्र हसन अली इरफान पुत्र हसन अली आदि द्वारा मकान बनाकर आबाद व काबिज होने का अंकन किया है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल के अनुसार विवादित भूमि खसरा नम्बर 1284,1279 गत खसरा नम्बर 582/856 मिन से बनना साबित है यह मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 7 व 8 विचारण न्यायालय की पत्रावली में वादी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत लगान की रसीदे दफतर ठिकाना मण्डावा पाना ठाकुर साहिब इन्द्रसिंह पेश की गई है। जो प्रदर्श 10,11,12 ,13 व 14 है। जमाबन्दी संवत 2041 से 2044 प्रदर्श 1 में विवादित भूमि खसरा नम्बर 582/856 ठाकुर जयसिह पुत्र हरीसिंह 1/2 ठाकर भीमसिंह पुत्र इन्द्रसिंह 1/2 राजपुत साकिब मण्डावा दर्ज है। जमाबन्दी संवत 2061 से 2064 प्रदर्श 02 में विवादित भूमि खसरा नम्बर 1284,1279 की खातेदारी जयसिंह 1/2, दुर्गासिंह 1/2 दर्ज है। जमाबन्दी 2065 से 2068 प्रदर्श 03 भी इसी अनुसार दर्ज है राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदार बावजुद तामिल उपस्थित नही हुये है न ही उनके द्वारा वादी के वाद कथन का कोई खण्डन किया गया है। वरवक्त बहस वादी अपीलांट की और से विवादित भूमि पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से जल कनेक्शन का भी अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का विद्युत बिल खसरा गिरदावरी संवत 2017 से 2020 में विवादित भूमि पर 2019 में मनु पुत्र ताजु व्यापारी नूरा पुत्र ताजु व्यापारी जमाल पुत्र तुला, अलादीन, लालु पुत्र अलादीन आदि की काश्त दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपरोक्त दस्तावेजी साक्ष्य के विवेचन से एवं नायब तहसीलदार मण्डावा की मौका रिपोर्ट से विवादित भूमि पर वादी अपीलांटस का कब्जा पूर्वजों के समय से होना साबित है विवादित भूमि पर वादी अपीलांटस का कब्जा काश्त प्रस्तुत लगान की रसीदों से भी प्रथम दृष्टया साबित होता है अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के विपरित रेस्पोडेंट ने खण्डन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किये है ऐसी स्थिति में खसरा नम्बर 1279 व 1284 के सन्दर्भ में वादी अपीलांटस घोषणा के अधिकारी पाये जाते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार कर वाद वादी डिक्री किया जाता है कि वादी अपीलांटस को गत खसरा नम्बर 582/856 मिन हाल खसरा नम्बर 1279 रकबा 0.08 हैक्टेयर, 1284 रकबा 0.75 हैक्टेयर वाके ग्राम मण्डावा तहसील व जिला झुंझुनू का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27-3-19 को सरे इजलास सुनाया गया।

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर